



पूंजी नविश 2023-24 के लिये राज्यों को वशेष सहायता

प्रलिस के लिये:

पूंजी नविश के लिये राज्यों को वशेष सहायता, केंद्रीय बजट 2023-24, जल जीवन मशिन, प्रधानमंन्त्री ग्राम सडक योजना, मेक इन इंडिया, एक ज़िला एक उत्पाद

मेन्स के लिये:

पूंजी नविश 2023-24 के लिये राज्यों को वशेष सहायता, प्रभावी पूंजी व्यय

चर्चा में क्यों?

वत्तित मंन्त्रालय, भारत सरकार के व्यय वभिया ने चालू वत्तित वर्ष में 16 राज्यों में 56,415 करोड रुपए के पूंजी नविश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

- यह मंजूरी 'पूंजी नविश 2023-24 के लिये राज्यों को वशेष सहायता' योजना के तहत दी गई है।
- इन 16 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, बहिर, छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मज़ोरम, ओडशा, राजस्थान, सक्कमि, तमलानाडु, तेलंगाना और पश्चमि बंगाल शामिल हैं।

'पूंजी नविश 2023-24 के लिये राज्यों को वशेष सहायता' योजना:

■ पृष्ठभूमि:

- पूंजी नविश/व्यय के लिये राज्यों को वत्तित सहायता की यह योजना, पहली बार वत्तित मंन्त्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 में कोवडि-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी और इसने राज्य द्वारा कयि जाने वाले पूंजीगत व्यय में उचत्तित समय पर वृद्धक की।

■ परचिय:

- पछिले तीन वर्षों से पूंजीगत व्यय के लिये इसी तरह के प्रयास को जारी रखते हुए इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी।
- योजना के तहत वत्तित वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकारों को 1.3 लाख करोड रुपए की कुल राशत्तक 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वशेष सहायता प्रदान की जा रही है।

SPECIAL ASSISTANCE TO STATES

State	Amount (in ₹ cr)	State	Amount (in ₹ cr)
Bihar	9640	Chhattisgarh	3195
MP	7850	Telangana	2102
West Bengal	7523	AP	1255
Rajasthan	6026	Haryana	1093
Odisha	4528	HP	826
Tamil Nadu	4079	Mizoram	399
Karnataka	3647	Sikkim	388
Gujarat	3478	Goa	386

Source: Ministry of Finance

भाग:

- इस योजना के आठ भाग हैं, जिसमें भाग-I, 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के साथ सबसे बड़ा है। यह राशि 15वें वित्त आयोग के नरिणय के अनुसार राज्यों के बीच केंद्रीय करों और करतव्यों में उनकी हसिसेदारी के अनुपात में आवंटति की गई है।
- योजना के अन्य भाग या तो सुधारों से जुड़े हैं या कषेत्र-वशिषिट परयोजनाओं के लयि हैं।

- भाग- II पुराने वाहनों को नषट करने और स्वचालति वाहन परीक्षण सुवधिओं की स्थापना के लयि राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- भाग-III और IV शहरी नयिजन एवं शहरी वतित में सुधार के लयि राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
- भाग-V शहरी कषेत्रों के पुलसि स्टेशनों में पुलसि कर्मयिों और उनके परिवारों के लयि उपलब्ध घरों की संख्या का वसितार करने हेतु धनराशि प्रदान करता है।
- योजना का भाग-VI यूनटि मॉल परयोजनाओं के माध्यम से सांस्कृतकि वविधिता और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया तथा एक जिला एक उत्पाद के दृषटकिण का समर्थन करता है।
- भाग-VII के अंतरगत पंचायत और वारड स्तर पर डजिटल बुनयादी ढाँचे के साथ पुस्तकालय स्थापति करने के लयि राज्यों को वतित्तीय सहायता के रूप में 5,000 करोड़ रुपए प्रदान कयि जाते हैं, जसिसे मुख्य रूप से बच्चों और कशिरो को लाभ होता है।

योजना के उद्देश्य:

- इस योजना से मांगको बढ़ावा देने और रोजगार सृजनकरके अर्थव्यवस्था पर उच्च गुणक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
- इस योजना का उद्देश्य राजयांश की पूरति हेतु धनराशि प्रदान करके कार्यक्रम जल जीवन मशिन और प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना जैसे महत्त्वपूरण उद्योगों में योजना को गतदिना है।
- यह योजना शहरों में जीवन की गुणवत्ता और शासन में सुधार के लयि राज्यों को शहरी नयिजन एवं शहरी वतित में सुधार करने के लयि प्रोत्साहति करने का भी प्रयास करती है।

भारत में पूंजीगत व्यय:

पूंजीगत व्यय:

- यह बुनयादी ढाँचे, भवन, मशीनरी और उपकरण जैसी भौतिक संपत्तयिों के अधगिरहन, नरिमाण या उनमें सुधार के लयि सरकार द्वारा आवंटति धन को संदर्भति करता है।
- इसे उत्पादक और वकिस में वृद्धिका कारक माना जाता है कयोंकयिह अर्थव्यवस्था की उत्पादक कषमता में वृद्धिकरता है, साथ ही भवषिय में आय बढ़ाने के साथ ही रोजगार सृजति करता है।
- भारत सरकार अपने वार्षकि बजट के माध्यम से पूंजीगत व्यय आवंटति करती है, जसिसे वतित मंत्री द्वारा प्रस्तुत कयिा जाता है।

- पूंजी नविश परवियय में लगातार तीसरे वर्ष वृद्धिदेखी गई है, जो 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच गया है, यत्सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है और 33% (केंद्रीय बजट वर्ष 2023-24) की महत्त्वपूरण वृद्धिदिशाता है।

प्रभावी पूंजीगत व्यय:

- बजट में प्रस्तुत पूंजीगत व्यय में राज्यों और अन्य एजेंसयिों के लयि अनुदान सहायता के माध्यम से नरिमति पूंजीगत संपत्ति में सरकार द्वारा कयिा जाने वाला व्यय शामिल नहीं है।

- इन अनुदानों को बजट में राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसके साथ हीये सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल आदि जैसी अचल संपत्तियों के निर्माण में भी योगदान देते हैं।
- इसलिये केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक निवेश की वास्तविक सीमा को प्राप्त करने के लिये 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' की अवधारणा प्रस्तुत की गई है।
- **प्रभावी पूंजीगत व्यय** को पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिये पूंजीगत व्यय और अनुदान के योग के रूप में परिभाषित किया गया है।
- इसके लिये बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% (केंद्रीय बजट 2023-24) है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित में से किसको/कनिको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया जाता है?(2016)

1. सड़कों, इमारतों, मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधग्रहण पर व्यय।
2. वदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण।
3. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदात्त ऋण और अग्रमि।

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/special-assistance-to-states-for-capital-investment-2023-24>